

विजय कुमार,  
आई0पी0एस0



डीजी परिपत्र सं0 - **32** /2023

पुलिस महानिदेशक,  
उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,  
लखनऊ-226002

दिनांक: अगस्त /7, 2023

**विषय:** क्रिमिनल मिस रिट पिटिशन सं0-10708/2023 उस्मान व 2 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में तथा क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या-10793/2023 मो0 आजम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 04.08.2023 के आलोक में, एक अभियोग के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

उपरोक्त संदर्भित क्रिमिनल मिस रिट पिटिशन सं0-10708/2023 तथा क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्या-10793/2023 में सुनवाई के दौरान मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष यह विषय विचार हेतु प्रस्तुत हुआ कि क्या एक ही अपराध के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अधीन कार्यवाही की जा सकती है।

मा0 उच्च न्यायालय सुनवाई के उपरान्त पारित निर्णय दिनांकित 04.08.2023 में यह निर्धारित किया गया कि योग्य प्रकरणों में एक ही अभियोग के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अधीन कार्यवाही की जा सकती है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या-569-570/2022 श्रद्धा गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 26.04.2022 द्वारा पूर्व में भी इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है कि एक ही अभियोग के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्त संदर्भित मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित न्यायिक निर्णयों की छाया प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि इन न्यायिक निर्णयों का अध्ययन कर लें तथा इन विधि व्यवस्थाओं से अपने अधीनस्थों को भी अवगत करा

(2)

दें। अभियुक्तों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित न्यायिक निर्णयों को संज्ञान में लेते हुए तदनुसार सम्पादित की गये।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

  
(विजय कुमार)

1. पुलिस आयुक्त,  
कमिश्नर-लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
प्रभारी जनपद/ रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था/अपराध), उ०प्र० लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ०प्र० लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ०प्र० लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएँ), उ०प्र० लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।